recommendations to make to the Lok Sabha in regard to the said Bill."

(iii) "In accordance with the provisions of rule 111 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to enclose a copy of the Cinematograph (Second Amendment) Bill, 1973, which has been passed by the Rajya Sabha at its sitting held on the 27th August, 1973."

CINEMATOGRAPH (SECOND AMENDMENT) BILL

AS PASSED BY RAJYA SABHA

SECRETARY: Sir, I lay on the Table of the House the Cinematograph (Second Amendment) Bill, 1973, as passed by Rajya Sabha.

12.29 hrs.

COMMITTEE ON SUBORDINATE LEGISLATION

EIGHTH REPORT

SHRI S. N. MISRA (Kannauj): I beg to present the Eighth Report of the Committee on Subordinate Legislation.

MINES (AMENDMENT) BILL

(i) REPORT OF JOINT COMMITTEE

SHRI M. C. DAGA (Pali): Sir, I beg to present the Report of the Joint Committee on the Bill further to amend the Mines Act, 1952.

(ii) EVIDENCE

SHRI M. C. DAGA: Sir, I beg to lay on the Table the record of evidence tendered before the Joint Committee on the Bill further to amend the Mines Act, 1952.

12.30 hrs.

COMPANIES (AMENDMENT) BILL

EXTENSION OF TIME FOR PRESENTATION OF REPORT OF JOINT COMMITTEE

SHRI NAWAL KISHORE SHARMA (Dausa): Sir, I beg to move:

"That this House do further extend upto the last day of the first week of the next session, the time for the presentation of the Report of the Joint Committee on the Bill further to amend the Companies Act, 1956, the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 and the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969"

MR. SPEAKER: In the statement of reasons for asking for extension of time to submit the report, you have said:

"The Committee have held 33 sittings so far. The Committee completed hearing of oral evidence on the Bill in June, 1973.

The Committee have been granted 3 extensions—the last extension was granted on the 27th July, 1973 upto the last day of the current session.

At the sitting held on the 16th August, 1973 the members felt that it would not be possible for them to take up clause-by-clause consideration of the Bill during the session period."

How long will you take now?

SHRI NAWAL KISHORE SHARMA: We hope at the next session we will be able to submit the report.

MR. SPEAKER: Are you sure?

SHRI NAWAL KISHORE SHARMA. Yes, Sir.

MR. SPEAKER: So, the question is:

"That this House do further extend upto the last day of the first week of the next session, the time for the presentation of the Report

[Mr Speaker]

of the Joint Committee on the Bill further to amend the Companies Act, 1956, the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 and the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act, 1969."

The motion was adopted

12.32 hrs

MATTERS UNDER RULE 377

(i) INJUSTICE IN ACQUISITION OF AGRICULTURAL LANDS BY BHILAI STEEL PLANT

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर (दुर्ग) भिलाई इस्पात कारखाने के मैनेजमैंट द्वारा वहा के कर्मचारियो और आस पास के किसानो के साथ हो रहे अन्याय की ओर मै मत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हू और अनुरोध करना चाहता हू कि वे इस अन्याय को दूर करने की कोशिश करें । भिलाई स्टील प्लान्ट के लिए लोगो से अधिक गावो की जमीन को सरकार द्वारा लिया गया । अभी भी वहा हजारो एकड जमीन खाली पडी हुई है । उसके बावजूद भी भिलाई स्टील प्लाट के मैनेजमेंट ने दो गावो की जमीन का जिन में से एक का नाम पुरैना गाव है जमीन एक्वायर करने के आर्डर्स इशु किए है । आस पास के गावो के लोग मैनेजमैंट के इस रुख से बडे परेशान है । उनके पास पहले ही बहुत अधिक जमीन खाली पडी हुई है । मनेजमैंट के अफसर लोगो ने एक कोआपरेटिव फार्म बना लिया है जो लगभग 800 या 1000 या 1200 एकड का है जिस में वे खेती करते है, लेकिन सारा खर्च सरकार का होता है, पानी, बिजली बाबुई वायर, ट्रैक्टर सब तो सरकार के खर्चे पर होते है लेकिन जो आमदनी होती है चाहे वह धान की फसल हो या सब्जी हो मैनेजमैंट के अफसरो के यहा चली जाती है । इस कारण स्थानीय जनता परेशान है । कई सालों से लोग कहते आ रहे है कि जो जमीन खाली पड़ी हुई है उसका उपयोग सरकार नहीं कर सकती है तो वह उसको लीज पर दे दे, एक एक साल की लीज पर दे दी जाए ताकि जब कभी सरकार को जरूरत पड़े तो उस को लिया जा सके और वे दे देवे । लेकिन ऐसा नही हुआ । किसानो को न देकर के मैनेजमेंट के जो अफसर स्टील प्लाट की जमीन का दुरुपयोग करते है । उसके बावजूद और जमीन ऐक्वायर करने के आर्डर्ज इशु हो गये है ।

भिलाई स्टील प्लाट मे उत्पादन बहुत अच्छी तरह से अभी तक होता रहा है । लेकिन अब वहा इंडस्ट्रीअल रिलेशस बहुत तेजी मे खराब हो रहे है । चाहे प्रमोशन, चाहे ट्रान्सफर्ज और चाहे नियुक्ति का सवाल हो, सब की वजह से वह खराब हो रहे है और खतरा पैदा हो रहा है कि आगे चल कर उत्पादन वहीं कम न हो जाए । मै दो तीन उदाहरण देना चाहता हू । पहला तो यह है कि वहा एक एजुकेशन आफिसर की जो नियुक्ति हुई है उस के खिलाफ वहा जबर्दस्त असंतोष है और आन्दोलन है । इसके साथ साथ चार डिप्टी एजुकेशन अफसर एप्वाइंट किए जा रहे है उनके खिलाफ भी वहा काफी आन्दोलन है । तीन चार लोगो को या तो बिना कारण नौकरी से अलग कर दिया गया है या ट्रान्स्फर कर दिया गया है । एक दो नाम मै आप को बताना चाहता हू । रामन राम को बिना किसी खास कारण के नोकरी से हटा दिया गया । असिस्टैंट लेबर आफिसर श्री द्विवेदी को ट्रान्स्फर कर दिया गया बिना कारण । कहने का मतलब यह है कि वहा जो मैनेजमैंट है वह मनमानी नियुक्तियां, प्रोमोशन और टर्मिनेशन आफ सर्विसिस कर रहा है ।

भिलाई स्टील प्लान्ट के कर्मचारियो को जो बोनस दिया जा रहा है । वह 8.33 दिया जा रहा है । वहां इस्पात का उत्पादन बहुत अधिक होता है । वहा के कर्मचारियो को और इस्पात कारखाने के कर्मचारियों के अधिक